Laboratories in the State of Tamil Nadu. CSIR also supports research in universities and academic institutions through Extra Mural Research schemes and grants. The total amount allotted and spent by the three main laboratories for the year 1984-85, 1985-86 and 1986-87 was Rs. 5.82, Rs. 9.41 and Rs. 9.76 crores respectively.

(c) Some of the major technological achievements of these institutions during the last three years are as follows:—

Central Electro-chemical Research Institute, Karaikudi

Based on CECRI technology a pilot plant for production of gallium metal whic is a strategic material having an installed capacity of 30 kg/year has been commissioned by M/s MALCO, METTUR DAM.

— A captive magnesium metal production plant of capacity 140 tonne per annum has started production at DMRL, Hyderabad.

— A Rs. 60 lakhs plant for production of electrolytic chromium having an installed capacity of 35 tpa valued at Rs. 50 lakhs has been set up in Rourkela and is under production. The plant is first of its kind in India.

— Based on CECRI knowhow a plant for production of Titanium Substrate Insoluble Anodes (TSIA) has been set up by M/s WIMCO at Rampur (U.P.). These anodes have been developed for use in Chlor Alkali Industry and result in saving of over 15 per cent in electric power consumption. So far 500 million KWH of electrical energy has been saved by using CECRI developed anodes.

— CECRI has developed expertise in the field of corrosion prevention in prestressed and re-inforced concrete used in marine bridges and structures. The Ministry of Transport, Government of India has given mandatory instructions to all Central and State PWDs to use CECRI knowhow in all major bridge constructions.

Central Leather Research Institute, Madras.

The development of new techniques and technologies by CLRI, Madras have enable modernisation and upgradation of leather industry. Indian leather exports have increased from Rs. 600 crores at the beginning of the 7th Plan to Rs. 1000 crores.

— CLRI has developed two syntans, alcrotan and ealutan, which are synthetic tanning agents based on aluminium and chromium.

— a process for making collagen sheets used for surgical purposes for treatment of burns.

Structural Engineering Research Centre, Madras:

Technologies have been developed for:—

— High strength deformed bar for concrete reinforcement

— Pre-stressed concrete sleepers and poles using portable pre-stressing bed.

— FRC manhole covers (light, medium and heavy duty) Computer software have been developed for

— Design analysis of structures (8 programmes)

— Computer aided analysis and design of ship and ship structures.

— Analysis and design of offshore structures.

(d) No, Sir.

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

*453. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है और अन्य राज्यों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है; और

(ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1983-84 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अद्यतन राज्यवार अनुमानों के अनुसार, जो पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 38वें दौर पर आधारित हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 530.6 लाख थी, जो राज्य की जनसंख्या का 45.3 प्रतिशत थी। वर्ष 1983-84 के लिए अन्य राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ख) छठी योजना के 5850 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले उत्तर प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 10447 करोड़ रु० है। इस प्रकार छठी योजना के मुकाबले सातवीं योजना में 78.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के अनेक कार्यक्रम जिनका उद्देश्य परिसम्पत्तियों के सृजन और रोजगार सृजन द्वारा गरीबों की आय में वृद्धि करना है, तीव्र गति से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है। राज्य योजना में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों पर और विशेष रूप से सिंचाई और विद्युत क्षेत्रकों में निर्माणधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर अधिक बल दिया गया है इन उपायों से राज्य में आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या और प्रतिशतता (1983-84 अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2.	असम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5
3.	बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4.	गुजरात	67.7	27.6	19.6	17.3	97.6	24.3
5.	हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	15.6
6.	हिमाचल प्रदेश	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7.	जम्मू और कश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10.3	16.3
8.	कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0
9.	केरल	55.9	26.1	15.6	30.1	71.5	26.8
10.	मध्य प्रदेश	218.0	50.3	36.9	31.1	254.9	46.2

0	1	2	3	4	5	6	7
11.	महाराष्ट्र	176.1	41.5	55.9	23.3	232.0	34.9
12.	मणिपुर	1.3	11.7	0.6	13.8	1.9	12.3
13.	मेघालय	3.9	33.7	0.1	4.0	4.0	28.0
14.	उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42.8
15.	पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16.	राजस्थान	105.0	36.6	21.2	26.1	126.2	34.3
17.	तमिलनाडु	147.6	44.1	52.6	30.9	200.2	39.6
18.	त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19.	उत्तर प्रदेश	440.0	46.5	90.6	40.3	530.6	45.3
20.	पश्चिम बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	32.2
21.	नागालैण्ड, सिक्किम और सभी संघ राज्य क्षेत्र	17.9	47.4	14.4	17.7	32.3	27.1
	अखिल भारत	2215.0	40.4	495.0	28.1	2710.0	37.4

तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण

@*453-क. **श्री जे०पी० गोयल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के उन तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर विचार किया है जिन्हें प्रारम्भ में 89 दिनों की अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है और उसके पश्चात एक-एक दिन का व्यवधान देकर उन्हें कई वर्षों तक 89 दिनों के लिये फिर से नियुक्त कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय लिया गया है ;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि, अर्जित अवकाश, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा, बोनस, छुट्टी यात्रा रियायत, आदि का लाभ नहीं दिया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें ये सुविधा न दिये जाने का क्या औचित्य है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) तदर्थ कर्मचारी वे कर्मचारी जिनकी नियुक्तियां नियमित पदोंपर पद के भर्ती नियमों के उपबन्धों तथा चयन की सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना की जाती है अतः उन्हें केवल तभी नियमित (उनकी नियुक्ति की अवधि पर ध्यान दिए बिना) किया जा सकता है, जब उक्त पद के लिए उनका चयन भर्ती नियमों तथा सामान्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाए । इस आशय के कोई आदेश नहीं हैं कि तदर्थ नियुक्तियां 89 दिनों के बाद समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) विभिन्न सेवा सुविधाओं के बारे में तदर्थ कर्मचारियों की हकदारी की स्थिति निम्न प्रकार है :

@ पूर्वतः तारांकित प्रश्न 414, 25 अगस्त, 1987 से स्थानान्तरित ।